

95

पृ.क्रं.-	
पिछला	अगला

वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक

क0 एफ-30-7-99-दस-3... मध्यप्रदेश अभिवहन (वनोपज) नियम, 2000 के नियम 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद्वारा , प्रदेश के अन्दर व बाहर वन उपज के परिवहन के लिए परिवहन अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए निम्नानुसार शुल्क निर्धारित करता है :-

वनोपज का नाम .	प्रति वाहन शुल्क (रुपये में)				
	रेल्वे बेगन	कन्टेनर	ट्रक जिनमें 8 घ.मी. से अधिक वनोपज हो।	प्रति ट्रेक्टर - ट्राली या अन्य वाहन जिनमें 8 घ. मी. से कम वनोपज हो।	प्रति बैलगाड़ी
इमारती व जलाऊ काष्ठ तथा बॉस	रु0 2000/-	रु0 4000/-	रु0 400/--	रु0 100/-	रु0 20/-
लघु वनोपज	रु0 1000/-	रु0 2000/-	रु0 200/-	रु0 50/-	रु0 10/-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
बी एन पाण्डे, सचिव

भोपाल, दिनांक

क0 एफ-30-07-99-दस-3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क0 एफ-30-07-99-दस-3-..... का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(बी एन पाण्डे , सचिव)

96

पृ.क्र.-	
पिछला	अगला

Bhopal, the -----2011

No-F-30-7-99-x-3 In exercise of the powers conferred by rule 5 of the Madhya Pradesh Transit (Forest Produce) Rules 2000, the State Government prescribes the following fee to be recovered for issue of transit pass for transport of forest produce within or outside the State, as follows

Forest Produce	Charge per Vehicle (In Rupees)				
	Railway Wagon	Container	Truck carrying Above 8 CMT forest Produce	Tractor Trolly or any vehicle other than any vehicle Less than 8 CMT forest Produce	Bullockcart
Timber / Fuel wood and Bamboo.	2000/-	4000/-	400/-	100/-	20/-
Minor Forest Produce.	1000/-	2000/-	200/-	50/-	10/-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
V.N. Pandey , Secretary